न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 109 दायर दिनांक : 02.08.2019

लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ –प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवानदत्त शर्मा व श्री राम कुमार वर्मा, अभिभाषकगण वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 31.07.2020

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादी के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 के पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि लेखराम पुत्र हनुमान के नाम खातेदारी अंकित है जो कि नामा. सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा वादी लेखराम के नाम दर्ज कागजात है। वर्तमान में वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रेखाराम दर्ज है। लेखराम उर्फ रेखाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस विषय में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना का प्रमाण–पत्र वाद के साथ संलग्न किया गया है। इसी अनुसार जमाबन्दी में संशोधन हेतु एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

रिपोर्ट में संशोधन को उचित मानकर संशोधन की सिफारिश भी की गई है जो असल वाद–पत्र के साथ संलग्न किया गया है। वादी ने अपने सभी दस्तावेजों में नामों की एकरूपता के लिए, सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना के प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर जैरवाद भूमि में अंकित खातेदार वादी के नाम 'लेखराम पुत्र हनुमान' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' को खातेदार घोषित किया जाकर, वर्तमान जमाबन्दी में पूर्व अंकन 'लेखराम पुत्र हनुमान' कलमजन कर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' दर्ज किये जाने आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जवाब में किसी प्रकार का एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र राज्यहित को ध्यान में रखकर निर्णय की प्रार्थना की गई। बाद आने जवाब साक्ष्य प्राप्त कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 3 बी. एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि की ओर ध्यान दिलाकर उक्त खातेदारी भूमि वादी लेखराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी बीरमाना की खातेदारी भूमि होना दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होना बताते हुए, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, जिसमें नाम दुरूस्त करने व घोषणा की जाने की अनुशंसा की गई है, का अवलोकन करवाया। साथ ही वाद में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र बयान वादी व वादी के भाई के बयान एवं वर्तमान में सरपंच की तस्दीक की ओर ध्यान दिलाया जिसमें लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान को एक ही व्यक्ति बताया गया है। मूल निवास प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि के साक्ष्य में फोटो में रेखाराम पुत्र हनुमान के नाम से दस्तावेज बनने की ओर भी ध्यान

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

दिलाया। वादी के भाई के शपथ–पत्र की ओर ध्यान दिलाया जिसमें वाद स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है। इसी आधार पर वाद वादी स्वीकार कर जैरवाद चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में अंकित खातेदार वादी के नाम 'लेखराम पुत्र हनुमान' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' को खातेदार घोषित किया जाकर, वर्तमान जमाबन्दी में पूर्व अंकन 'लेखराम पुत्र हनुमान' कलमजन कर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' दर्ज किया जाकर अलग खाता कायम करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। तहसीलदार सूरतगढ़ ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने की प्रार्थना की।

बाद सुनने तर्क पक्षकारान तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहन पठन व मनन करने पर पाया कि वर्तमान में चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि लेखराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार सा. बीरमाना खातेदार के नाम अंकित है। वादी ने अपने दो नाम लेखराम एवं रेखाराम पुत्र हनुमान बताये हैं व दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह साबित है जिसके विरोध में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। स्वतंत्र जांच पटवारी से भी तथ्य वाद साबित होते हैं। ताईद में परिवार के व स्वयं के शपथ–पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत हैं तथा सरपंच का प्रमाण–पत्र भी संलग्न है। तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों, शपथ–पत्रों आदि से वाद वादी पूर्ण रूप से सन्देह से परे साबित होता है। प्रतिवादी द्वारा विपरीत में ना तो किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है व ना ही एतराज प्रस्तुत हुआ है एवं ना ही प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हुआ है। सभी कथन, साक्ष्य व दस्तावेजों के अवलोकन व पठन से वाद वादी पूर्ण रूप से साबित होता है। वाद स्वीकृति से राज्य हित प्रभावित नहीं होते। घोषणा से मात्र सही स्थिति ही कायम होती है जिसे वादी स्वयं ही अंकन करवाना चाहता है। इस परिस्थिति में वाद वादी सन्देह से परे व स्वीकृति योग्य साबित होता है, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है व चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि का 'लेखराम पुत्र हनुमान' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में पूर्व अंकन 'लेखराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार सा. बीरमाना खातेदार' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार सा. बीरमाना खातेदार' अंकित कर उक्त भूमि का खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 109 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादी श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री राम कुमार वर्मा एवं पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि का 'लेखराम पुत्र हनुमान' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 61/50 में इन्तकाल सं. 305 खाता विभाजन दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकित पत्थर नं. 15/10 (38) के किला नं. 5/0.013 है0, 6/0.013 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0 = 1.544 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 15/18 (39) के किला नं. 3/1 = 0.126 है0 कमाण्ड, कुल 1.670 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में पूर्व अंकन 'लेखराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार सा. बीरमाना खातेदार' के स्थान पर 'लेखराम उर्फ रेखाराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार सा. बीरमाना खातेदार' अंकित कर उक्त भूमि का खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28.07.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 17:10:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: